राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.8(ग)(66)नियम/डीएलबी/2025/5021 जयपुर, दिनांक – 17/4/25

आदेशः–

नगर पालिका अधिनियम, की धारा–68–क एवं न्यास/प्राधिकरण अधिनियम के सुसंगत धाराओं यथा नगर सुधार अधिनियम की धारा–43, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, की धारा–54, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, की धारा–48, के अतंर्गत प्राधिकरण रिजन/न्यास नगरीय क्षेत्र/नगर पालिका सीमा की समस्त राजकीय भूमियां स्थानीय निकाय (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास) के गठन से ही उस स्थानीय निकाय में निहित होने का प्रावधान है। नगर पालिका अधिनियम की धारा 68–क एवं न्यास/प्राधिकरण की सुसंगत इन धाराओं के लागू होने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 103 में परिभाषित भूमि उक्त धारा के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट भूमि को छोडकर संबंधित स्थानीय निकाय में निहित हो चुकी हैं।

राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प.6(9)राज–6/96 पार्ट/39 दिनांक 8.12.2010 भू–राजस्व (लगान) के 40 गुना राशि जमा कराकर भूमि राजस्व रिकार्ड में संबंधित निकायों के नाम दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। अतः संबंधित निकायों के नगर पालिका क्षेत्र/मास्टर प्लान क्षेत्र/अधिसूचित प्राधिकरण का रीजन क्षेत्र/नगर सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में निहित समस्त राजकीय भूमियों को राजस्व रिकार्ड में संबंधित निकाय के नाम दर्ज की जाये। जहां नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका एवं विकास प्राधिकरण/विकास न्यास दोनों कार्यरत है वहां नगर पालिका सीमा (Municipal Limit) में संबंधित नगर निगम/परिषद/पालिका के नाम एवं शेष क्षेत्र में संबंधित विकास प्राधिकरण/विकास न्यास के नाम भूमि दर्ज की जाये।

राजकीय भूमि पूर्व में ही निकायों के नाम दर्ज हो चुकी है अथवा अब दर्ज होनी है उन सभी में भूमि का वर्ग परिवर्तन कर भूमि वर्गीकरण जल व जल भराव क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक जलस्त्रोतों यथा नदी, तालाब, बांध, जोइड़ आदि सम्मिलित है, की श्रेणी को छोड़कर गैर–मुमकिन आबादी दर्ज की जाये। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र कमांक प. 6(107)राज–3/19 दिंनाक 17.12.2019 जारी कर आवश्यक निर्देश दिये गये है।

संबंधित निकायों द्वारा ऐसी राजकीय भूमियों का निष्पादन अधिसूचना दिनांक 08.12.2010 की पालना करते हुए शहर के मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुसार राजस्थान नगर पालिका/न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र विभिन्न उद्देश्यों के लिए भू–आवंटन नीति–2015 के अर्न्तगत किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(वैभव गालरिया) 16/4/25
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

(दिनेश कुमार) 16/04
प्रमुख शासन सचिव
राजस्व विभाग

(राजेश कुमार यादव)
प्रमुख शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.8(ग)(66)नियम/डीएलबी/2025/ 5022-5732 दिनांकः 17/4/25

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, राजस्वविभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. निजीसचिवप्रमुख शासनसचिव, नगरीय विकासविभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. उप सचिव प्रथम/द्वितीय / तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त संभागीय आयुक्त।
12. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
13. माननीय महापौर/सभापति/अध्यक्ष समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका राजस्थान।
14. समस्त आयुक्त प्राधिकरण / नगर निगम / नगरपरिषद/सचिव नगर विकास न्यास राजस्थान।
15. समस्त कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद/पालिका।
16. प्रोग्रामर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
17. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव